(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 212-II/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 1356/अ–6/1996–97

1–रामनारायण सिंह तनय गजराजसिंह
2–गजराजसिंह तनय विजय बहादुर सिंह
दोनों निवासी ग्राम गाढौला जागीर, तहसील खुरई
जिला सागर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

विजेन्द्रसिंह तनय निर्भय सिंह
निवासी ग्राम गाढौला जागीर, तहसील खुरई
जिला सागर म0प्र0

..... अनावेदक

श्री एन0के0पाठक, अभिभाषक आवेदकगण
श्री जितेन्द्रसिंह ठाकुर, अभिभाषक अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 1356/अ–6/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार खुरई के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनकी भूमि खसरा नम्बर 482, जिसका कि बंदोबस्त पूर्व नम्बर 222 था तथा अनावेदक का खसरा नम्बर 481 तथा बंदोबस्त के पूर्व का नम्बर 221 था । ग्राम में बंदोबस्त के दौरान उनका नक्शा में

रकवा कम कर दिया गया था इसलिये उसे संशोधित किया जावे । जिस पर तहसीलदार खुरई द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण कमांक 15/अ–6–अ/1994–95 दर्ज किया गया तथा उभयपक्षों को सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् दिनांक 19–07–1995 को आदेश पारित किया कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त क्षेत्र रकबा 0.53 हेक्टर खसरा नम्बर 481 में शामिल करते हुये दोनों खसरा नम्बर 481 482 के बीच मेड़ कायम करने के आदेश दिये जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 82/अ–6–अ/1995–96 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 09–09–1996 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–96 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 1356/अ–6/1996–97 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 से निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2002 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अपर आयुक्त न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को यह वैधानिक तथ्य स्वीकार करना कि बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया फील्ड मैप अंतिम एवं पूर्ण होता है तथा इस फील्ड मेप में दर्शित सीमा रेखाओं को परिवर्तित करने का स्वयमेव अधिकार हल्का पटवारी को नहीं होता है । पटवारी ने किसी भी सक्षम राजस्व अधिकारी के विधिवत् पारित आदेश के बिना ही विवादित खसरा नम्बर 481 तथा 482 की सीमा रेखा में परिवर्तन किया है जो स्पष्ट रूप से कानूनन गलत है । अधीनस्थ न्यायालयों ने पटवारी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर फील्ड मैप में सीमा रेखाओं में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के करके दस्तावेजों को विरूपित किया है जो अनुचित कृत्य है। इन वैधानिक आपत्तियों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपना कोई भी निष्कर्ष प्रतिपादित नहीं करके अपील निरस्त करने में भूल की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार खुरई

द्वारा पारित आदेश दिनांक निरस्त करते हुये बन्दोबस्त विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित खसरा नम्बर 481 एवं 482 का फील्ड मैप यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में यही बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अधारहीन होने से खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

5– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया । प्रकरण में यह तथ्य रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 481 तथा 482 के मध्य नक्शे में मेड़ नहीं बनी थी जिसके कारण खसरा नम्बर 481 तथा 482 के रकबे में आधिक्य/कमी आ रहा था । तहसीलदार के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में कार्यवाही हेतु आवेदन दिये गये । स्थल जॉच पर रकबा बरारी कर तहसीलदार ने आदेश पारित किया । संहिता की धारा 107 में स्पष्ट प्रावधान है कि बन्दोबस्त के उपरांत नक्शे में सुधार के अधिकार कलेक्टर को हैं अतः आवेदक की यह आपत्ति की तहसीलदार ने अधिकारविहिन कार्यवाही की स्वीकार योग्य नहीं है । आवेदक ने अपने समर्थन में मात्र फोटोप्रतियॉ दस्तावेजों की पेश की । किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की जिससे कि उसका पक्ष प्रमाणित हो । नक्शा तथा खसरा मिलकर ही भू–अभिलेख तैयार होते हैं यदि दोनों में भिन्नता है तो यह तहसीलदार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसी विसंगति का सुधार पर्याप्त जॉच के बाद करें । इस प्रकरण में तहसीलदार ने ऐसी ही विसंगति का सुधार किया है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष दिये हैं जिनमें परिवर्तन के पर्याप्त आधार नही होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.